अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX: 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/125/2016-17

08 मार्च, 2017

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र कुमार
पुत्र श्री भुक्खल राम सा.मौ. ताजुद्दीनपुर,
पो. औरैला, तहसील मड़ियाहूं
जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

उक्त संदर्भ में आपका 02.03.2017 का पत्र इस सचिवालय में 07.03.2017 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ आपने नकद दस रूपये का नोट संलग्न कर ग्राम पंचायत अधिकारी के पद हेतु अपने साक्षात्कार को अन्य समिति से करवाने विषयक अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी चाही है।

इस संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके पत्र की विषय-वस्तु इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। अत: आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जनसूचना अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करें। अत: आपका पत्र मूल रूप में नकद दस रूपये के नोट सहित आपको लौटाया जा रहा है।

धन्यवाद,

भवदीय,
हुरबी शकील
(हुरबी शकील)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
hurbi.shakeel@nic.in

Narain Singh
9/3/17

RTI No. 125

सेवा में,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी/मा0 राष्ट्रपति महोदय,दिल्ली/
मा0 उपराष्ट्रपति दिल्ली/मा0 प्रधानमंत्री दिल्ली/
श्रीमान अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग दिल्ली/
श्रीमान अनुसूचिज जाति/जनजाति आयोग लखनऊ/मानवाधिकार
आयोग लखनऊ/मा0 राज्यपाल लखनऊ।

<u>प्रार्थना पत्र जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005</u>

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी दिनांक 28.01.2017 को श्रीमानजी को इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि विज्ञापन संख्या 7 (3)/2015–21–02, 2016–3587 ग्राम पंचायत अधिकारी पद हेतु आवेदन किया जिसकी दि0 04.12.2016 ई0 को लिखित परीक्षा हुई। उक्त लिखित परीक्षा 90 अंक की रही। प्रार्थी का अनुक्रमांक 00377599 रहा। उक्त 90 अंक के सापेक्ष में प्रार्थी 72 अंक हासिल किया। परन्तु साक्षात्कार बोर्ड ने साक्षात्कार के समय प्रार्थी को जातीय द्वेषवश मात्र 08 नम्बर 20 अंक के सापेक्ष में दिया गया। इस प्रकार प्रार्थी का चयन नहीं किया गया, जबकि उक्त लिखित परीक्षा में कम अंक पाने वालों को साक्षात्कार में ज्यादा नम्बर देकर नौकरी दी गयी है।

चूँकि चमार जाति का होने के कारण ऐसा घृणित कार्य किया गया इसलिये प्रार्थी श्रीमानजी को निवेदन किया कि मेरा साक्षात्कार दूसरी कमेटी से कराया जाय। प्रार्थना पत्र दिनांक 28.01.2017 ई0 को दिया गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाहीं नहीं की गयी।

अवगत कराना है कि प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र जो कि संलग्न है पर कृति कार्यवाहीं की जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत रिपोर्ट चाहता है।

अतः प्रार्थना है कि संलग्न प्रार्थना पत्र जो दिनांक 28.01.2017 ई0 को प्रार्थी श्रीमानजी को दिया है। उक्त प्रार्थना पत्र के तहत क्या कार्यवाहीं की गयी जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत कृत कार्यवाहीं से अवगत कराने की कृपा करें।

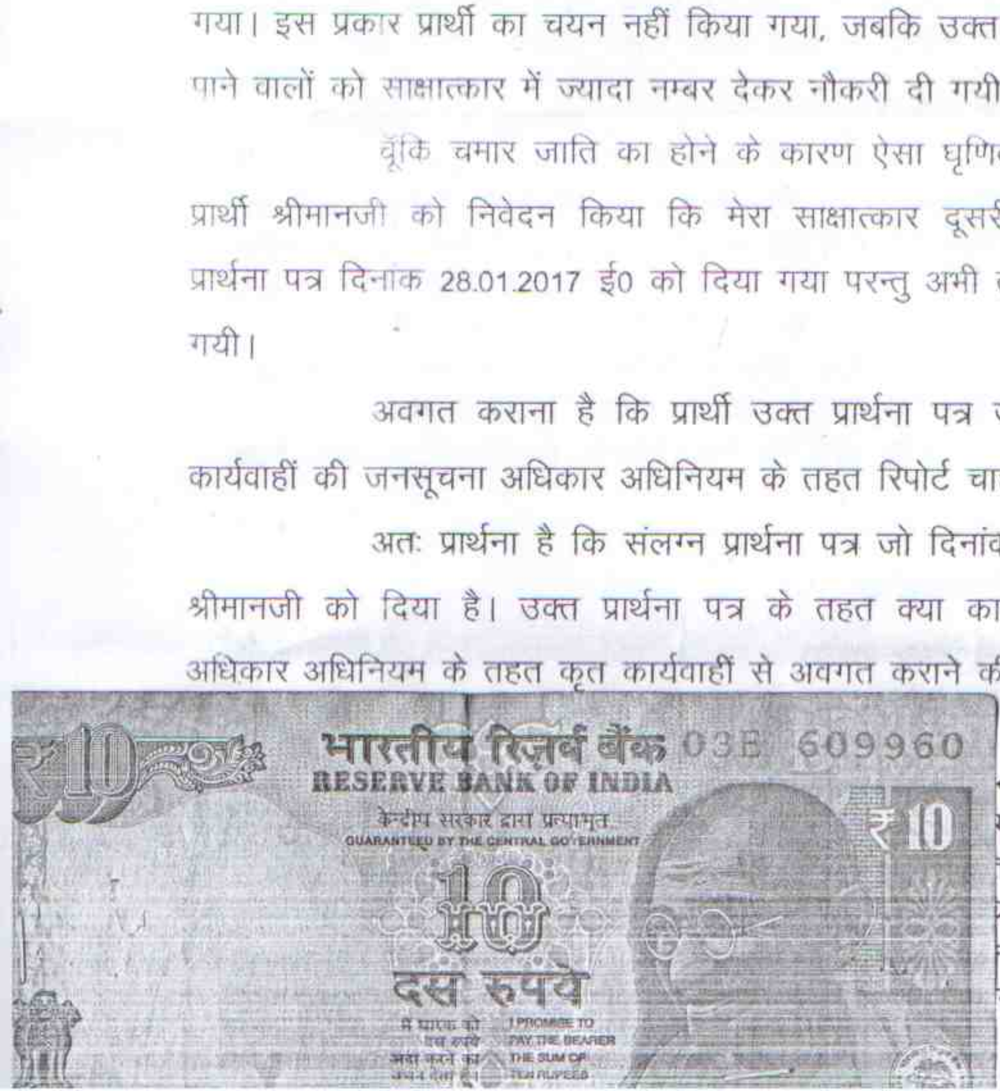

प्रार्थी
...endra Kumar
...मार पुत्र श्री भुक्खल राम
...ाजुद्दीनपुर, पो0 औरैला
...ाहूँ, जिला जौनपुर उ0प्र0
...ांक– 28.02.2017
...नं0– 9795444799

सेवा में,

माननीय राष्ट्रपति महोदय, दिल्ली/
माननीय उपराष्ट्रपति दिल्ली/
माननीय प्रधानमंत्री दिल्ली/श्रीमान् अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग दिल्ली/ श्रीमान् अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग लखनऊ/मानवाधिकार आयोग लखनऊ/माननीय राज्यपाल लखनऊ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भुक्खल राम ग्राम–ताजुद्दीनपुर पोस्ट–औरैला, जिला–जौनपुर उ0प्र0 का मूल निवासी है, प्रार्थी उ0प्र0 शासन के विज्ञापन संख्या–7(3)/2015–21–02 2016– 3587 ग्राम पंचायत अधिकारी पद हेतु विज्ञापन निकला था, जिसमें प्रार्थी ग्राम पंचायत अधिकारी पद हेतु आवेदन किया तथा दिनांक 04.12.2016 लिखित परीक्षा शासन द्वारा करायी गयी, लिखित परीक्षा में प्रार्थी को पूर्णांक 90 में 72 नम्बर प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी को 22.12.2016 को पिकप भवन गोमती नगर लखनऊ मा0 केशव राम बोर्ड में बुलाया गया, प्रार्थी का साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा तथा प्रार्थी से साक्षात्कार के समय जाति पूछी गयी लिखित परीक्षा में 90 नम्बर के स्थान पर 72 नम्बर पाने वाले प्रार्थी को अनु0जाति चमार जाति होने के कारण साक्षात्कार में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया, प्रार्थी की नियुक्ति नहीं की गयी।

अवगत कराना है कि प्रार्थी अनु0 जाति चमार जाति का गरीब, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति है। मेहनत–मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। जाति समीकरण सरकार तथा साक्षात्कार बोर्ड को नहीं भाया, इसलिए चमार जाति होने के कारण मेरी नियुक्ति नहीं की गयी।

विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि साक्षात्कार बोर्ड मनमाने ढंग से शासन की मंसा के अनुसार अनु0 जाति में चमार जाति के लोगों का व्यक्तिगत लाभ की दशा में कुछ लोगों को उत्तीर्ण किया गया और जो साक्षात्कारी, साक्षात्कार बोर्ड को व्यक्तिगत लाभ नहीं दे पाये, इण्टरव्यूह में अनुत्तीर्ण कर दिया गया, ऐसी दशा में प्रार्थी का जीवन यापन नहीं हो पा रहा है।

उक्त के पिरपेक्ष्य में प्रार्थी श्रीमान् जी से यह चाहता है कि प्रार्थी का साक्षात्कार पुनः कराया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि श्रीमान् जी प्रार्थी का साक्षात्कार पुनः करायें तथा उत्तीर्ण होने पर नियुक्ति करने की कृपा करें।

प्रार्थी

Surendra Kumar.

सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भुक्खल राम,
ग्राम–ताजुद्दीनपुर
पोस्ट–औरैला
तहसील–मड़ियाहूँ
जिला–जौनपुर (उ0प्र0)
दिनांक–27.01.2017
मो0नं0–9795444799